समय–सीमा / महत्वपूर्ण

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक / आब. / ठेका / 2017 / **1014**, रायपुर, दिनांक **27 / 02 / 2017**

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
छत्तीसगढ़

विषय : **वर्ष 2017–18 के लिए देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अन्तर्गत व्यवस्थापन एवं अन्य बिन्दुओं पर शासन निर्देश।**

––::0::––

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् केवल व्यवस्थापन नियम, 2017 भी कहा गया है) के अन्तर्गत **आवेदन पत्र प्राप्त कर** किया जायेगा। **मंत्रि–परिषद् के आदेश दिनांक 24.01.2017 द्वारा राज्य के देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के संचालन के लिए गठित नवीन सार्वजनिक उपक्रम को अधिकृत किया गया है,** अतः शासन निर्णय अनुसार इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के मुख्य बिन्दु एवं निर्देश निम्नानुसार हैं :–

1/ **आवेदन पत्र** :– सी. एस. एम. सी. एल. (छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड) अथवा उसके अधिकृत प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र (परिशिष्ट–1) एवं निर्धारित लायसेंस फीस रूपये 10000 / – प्रति दुकान प्रति वर्ष एक मुश्त जमा कर आवेदन करेगा।

2/ **लाइसेंस मंजूर करने के लिए प्रक्रिया** :–

अनुज्ञापन प्राधिकारी प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर नियमानुसार लायसेंस स्वीकृति करेगा।

3/ **देशी / विदेशी मदिरा (स्प्रिट / माल्ट) की ड्यूटी दरें** :–

(क) प्रदेश में वर्ष 2017–18 के लिए देशी / विदेशी मदिरा के प्रदाय हेतु देशी एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) की ड्यूटी दरें निम्नानुसार रहेगी :–

क्रं.	मदिरा का प्रकार	वर्ष 2017–18 के लिये निर्धारित ड्यूटी दर
1.	**देशी मदिरा** :– मसाला – 25.0 UP प्लेन – 50.0 UP रासी – 60.0 UP	रूपये 285 / – प्रति प्रूफ लीटर

2.	***विदेशी मदिरा (स्प्रिट)***:–*विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की ड्यूटी दर की गणना* ***वर्ष 2016–17*** *में विदेशी मदिरा की* कारखाने के बाहर मूल्य (एक्स फैक्ट्री प्राईस)***प्रति पेटी*** *पर निम्नानुसार होगी :–*	
	1. रूपये 800/– तक	रूपये 300/– प्रति प्रूफ लीटर
	2. रूपये 801/– से 1100/– तक	रूपये 430/– प्रति प्रूफ लीटर
	3. रूपये 1101/– से 1500/– तक	रूपये 500/– प्रति प्रूफ लीटर
	3. रूपये 1501/– से 2000/– तक	रूपये 610/– प्रति प्रूफ लीटर
	4. रूपये 2001/– से 3000/– तक	रूपये 720/– प्रति प्रूफ लीटर
	5. रूपये 3001/– से 4000/– तक	रूपये 790/– प्रति प्रूफ लीटर
	5. रूपये 4001/– से 6000/– तक	रूपये 830/– प्रति प्रूफ लीटर
	5. रूपये 6001/– से 8000/– तक	रूपये 850/– प्रति प्रूफ लीटर
	6. रूपये 8001/– से 10,000/– तक	रूपये 880/– प्रति प्रूफ लीटर
	7. रूपये 10,001/– और उससे अधिक	रूपये 900/– प्रति प्रूफ लीटर
3.	**बीयर (माल्ट मदिरा)**	**एक्स फैक्ट्री प्राईस पर 125 प्रतिशत की दर से परंतु न्यूनतम ड्यूटी दर रुपए 75/– प्रति बल्क लीटर से कम नहीं होगी**
4.	सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनके संस्थाओं/क्लबों के लिये :–	
	(क)विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	रूपये 30/– प्रति प्रूफ लीटर
	(ख) बीयर (माल्ट मदिरा)	रूपये 8/– प्रति बल्क लीटर

<u>स्पष्टीकरण</u> :– 1. विदेशी मदिरा (स्प्रिट) में सम्मिलित है, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वाईन, लिकर्स, कार्डियल्स, बिटर्स, मिक्चर्स तथा अन्य विनिर्मितियाँ, जो स्प्रिरिट युक्त हों।

2. माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर इत्यादि।

(ख) <u>आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार</u> :–

आबकारी शुल्क (ड्यूटी) योग्य वस्तुओं के विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के अनुपात में दिया जावेगा।

(ग) <u>विदेशी मदिरा की बोतलों पर प्लास्टिक पारदर्शी सील टोपी (Transparent plastic sealing cap) लगाया जाना</u> :–

आगामी वर्ष 2017–18 के लिये वर्ष 2016–17 की भांति दिनांक 01.04.2017 से विदेशी मदिरा की बोतलों पर विनिर्माता/प्रदायकर्ता द्वारा प्लास्टिक पारदर्शी सील टोपी (Transparent plastic sealing cap) होलोग्राम सहित लगाना अनिवार्य किया गया है।

टीप :–सभी प्रकार के विदेश निर्मित विदेशी मदिरा, (FMFL) तथा उत्पाद जो गैर वापस वाल्व (Non returnable valve) या टेम्पर प्रूफ कैप्स में/के साथ प्रदाय किये गये हों उन पर उक्त अनिवार्यता लागू नहीं होगी।

4/ मादक द्रव्यों की नवीन दुकानें खोलना/बंद करना :–

राज्य में वर्ष 2016–17 में कुल 712 मदिरा दुकानें संचालित थी। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2017–18 में मदिरा दुकानों की संख्या 712 यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है :–

(4.1) **दुकाने बंद करना :–**

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2017–18 में कोई दुकान बंद नहीं की जावेगी।

(4.2) **नवीन दुकानें खोलना :–**

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2017–18 में कोई नवीन दुकानें नहीं खोली जावेगी।

5/ देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की अवस्थिति :–

(5.1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य प्रयुक्ति नियमों के नियम 1(1) के अन्तर्गत प्रावधानित आपत्तिजनक स्थानों पर कोई भी फुटकर मदिरा की दुकान, जहाँ पर परिसर में मदिरा के उपभोग की अनुमति हो, स्थापित नहीं की जा सकती है। अतः उक्त नियमों का पालन सुनिश्चित् किया जावे।

(5.2)(i) जिला आबकारी सलाहकार समिति की राय पर संबंधित जिलों के कलेक्टर्स द्वारा उक्त कंडिका (5.1) के संबंध में दिए गए प्रस्ताव एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164–12166/2016 में पारित आदेश, दिनांक 15 दिसम्बर 2016 को दृष्टिगत रखते हुए, आगामी वर्ष 2017–18 हेतु दुकानों को स्थापित करने की कार्यवाही जारी है जिसकी सूचना पृथक से जारी की जावेगी।

(ii) राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी मदिरा दुकानें जिनका स्वरुप परिवर्तन किया जाना है इस बाबत् जिलों के कलेक्टर्स द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्ताव एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164–12166/2016 में पारित आदेश, दिनांक 15 दिसम्बर 2016 को दृष्टिगत रखते हुए, आगामी वर्ष 2017–18 हेतु कार्यवाही की जावेगी जिसकी सूचना पृथक से जारी की जावेगी।

(5.3) उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रयुक्ति नियमों के नियम 1 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत आपत्तिजनक स्थल में स्थापित मदिरा दुकानों को सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 5 के अनुसार एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में स्थानांतरण करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर सक्षम हैं, अतः जिले की कोई मदिरा दुकान, जहाँ पर परिसर में मदिरा उपभोग की अनुमति हो, यदि आपत्तिजनक स्थल पर है, तो ऐसी मदिरा दुकानों को नियमानुसार आपत्तिरहित स्थल पर स्थानांतरित करने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जावे।

(5.4) जिन जिलों के प्रस्तावों में आबकारी सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों अथवा माननीय सांसद/विधायक द्वारा वर्तमान वर्ष 2017–18 में स्थित मदिरा दुकानों में से जिन मदिरा दुकानों को आपत्तिजनक स्थल पर स्थित होने अथवा अन्य कारणों से उनके वर्तमान स्थल से हटाने की मांग की गई है, उन संबंधित मदिरा दुकानों को

स्थानीय नागरिकों/संस्थाओं/वार्ड पार्षदों/ग्राम पंचायतों आदि के साथ संबंधित मदिरा दुकान की स्थापना के लिए स्थल चयन हेतु समन्वय कर आगामी वर्ष 2017–18 में उनके वर्तमान स्थल से हटाकर उसी परिक्षेत्र में अन्यत्र आपत्तिरहित स्थल पर स्थापित करने की कार्यवाही जिला स्तर पर की जाये, ताकि वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान अनावश्यक रूप से ऐसी मदिरा दुकानों को हटाने आदि के संबंध में किसी प्रकार के आंदोलन आदि की स्थिति निर्मित न हो।

(5.5) माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 12164–12166/2016 तमिलनाडू राज्य एवं अन्य विरूद्ध के. बालू एवं अन्य में पारित आदेश, दिनांक 15.12. 2016 के परिपालन में :–

i. राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो के समानांतर शराब की बिक्री के लिए लायसेंस नहीं देने के निर्देश हैं।

ii. कंडिका (i) का प्रावधान नगर निगम, शहर, कस्बे या स्थानीय प्राधिकारी की सीमाओं के भीतर से गुजरने वाले उक्त राजमार्गों पर भी प्रभावशील होगा।

iii. मौजूदा लायसेंस, लायसेंस अवधि समाप्ति तक प्रभावशील रहेंगे। किन्तु 1 अप्रैल, 2017 से कोई नवीन लायसेंस स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।

iv. शराब की उपलब्धता के संकेतक और विज्ञापन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दोनों ओर निषिद्ध होगा।

v. शराब बिक्री की कोई दुकान राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से, (i) दिखाई न दे (ii) राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से पहुंच में न हो (iii) राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग से या राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी छोर से 500 मीटर की दूरी के भीतर स्थित न हो।

6/ भण्डारण–भाण्डागार खोलना/बंद करना :–

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2017–18 के लिए राज्य के किसी भी जिले में नवीन भण्डारण भांडागार नहीं खोला जावेगा और न ही बंद किया जावेगा।

7/ सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय :–

(7.1) देशी मदिरा के प्रदाय संविदाकार को अपनी आसवनी से देशी मदिरा के भण्डारण–भाण्डागार तक मदिरा का परेषण भेजने के पूर्व प्रति पेटी पर प्रतिशुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) जो की कारखाने के बाहर मूल्य (एक्स फैक्ट्री प्राईस) पर 50 प्रतिशत की दर से होगी, जमा करना अनिवार्य होगा।

(7.2) **आगामी वर्ष 2017–18 में फुटकर अनुज्ञप्तिधारक प्रति पेटी मदिरा की निर्धारित कीमत देशी मदिरा के प्रदाय संविदाकार को भुगतान कर संबंधित भण्डारण –भाण्डागार से देशी मदिरा का प्रदाय लेगा।**

(7.3) वर्ष 2010–11 में देशी मदिरा की काँच की बोतलों का विशिष्ट मानकीकरण किया गया है, जिसके तहत काँच की बोतल को गोल आकार (Round shape) में रखा गया है तथा प्रत्येक माप की बोतल में **"छ.ग.आब.दे.म."** तथा बोतल माप जैसे–बोतल में "750 ml", अद्धी में "375 ml." एवं पाव में "180 ml" उत्कीर्ण

dm

(Embossed) किया गया है। इसके अतिरिक्त **वर्ष 2016–17 में देशी मदिरा की शीशीयों** में ढक्कन और होलोग्राम के ऊपर **"Plastic trasparent sealing cap"** लगाये जाने का प्रावधान किया गया है जो आगामी वर्ष 2017–18 के लिए **यथावत् रहेगी।**

(7.4) देशी मदिरा परिवहन में प्रयुक्त होने वाले सील पेटियों के दोनों तरफ लगाने वाले लेबलों पर सफेद रिक्त स्थान छोड़ जाना होगा जिस पर 1D बारकोड प्रिंट होगा।

(7.5) देशी मदिरा की पेटियां **"ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड"** के मानक अनुरूप होगी।

(7.6) देशी मदिरा प्रदाय के संविदाकार को परेषण के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक होने वाली टूट–फूट की मात्रा पर प्रतिशुल्क(काउंटरवेलिंग ड्यूटी) वापस नहीं होगी।

8/ <u>देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के लिए स्टॉफ की नियुक्ति</u> :–

प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी को पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश पत्र में चस्पा फोटो को वरिष्ठ प्रबंधक/जिला प्रबंधक/सहायक प्रबंधक द्वारा सत्यापन किया जावेगा।

9/ <u>निरीक्षण पुस्तिका</u> :–

(9.1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 22 में निरीक्षण पुस्तिका रखने के प्रावधान निहित हैं, जिसके अनुसार मदिरा दुकान का लायसेंसी दुकान में एक निरीक्षण पुस्तिका रखेगा और दुकान के निरीक्षण के समय सशक्त अधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

(9.2) छत्तीसगढ़ **आबकारी अधिनियम, 1915** के अंतर्गत निर्मित **सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 20 में** लेखा पंजी रखने का प्रावधान निहित है, जिसके अनुसार मदिरा दुकान का लायसेंसी, दुकान में लेखा पंजी रखेगा और दुकान के निरीक्षण के समय सशक्त अधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

(9.3) राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार **वर्ष 2016–17 की तरह आगामी वर्ष 2017–18 में भी** मदिरा दुकान के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनकी दुकान में मदिरा की प्रारम्भिक बचत, आमद, बिक्री एवं अंतिम बचत की मासिक विवरणी, जो देशी मदिरा के लिए मसाला, प्लेन एवं रासी तथा विदेशी मदिरा के लिए ब्राण्ड/लेबलवार होगी, दुकान के निरीक्षण के समय सशक्त अधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

10/ **शुष्क दिवस** :–

(10.1) वर्तमान वर्ष 2016–17 की भाँति **आगामी वर्ष 2017–18** में प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के साथ–साथ एफ.एल. 2, 3, 3क, 4, 4क, 6, 7, 8 एवं 10 को निम्नानुसार दिवसों में शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवसों पर बंद रखा जावेगा :–

क्रमांक	शुष्क दिवस	संख्या दिवस
1.	2.	3.
1.	26 जनवरी " गणतंत्र दिवस"	1 दिवस
2.	15 अगस्त "स्वतंत्रता दिवस"	1 दिवस
3.	02 अक्टूबर "गांधी जयंती"	1 दिवस
4.	30 जनवरी "महात्मा गांधी निर्वाण दिवस"	1 दिवस
5.	मोहर्रम	1 दिवस
6.	होली (जिस दिन रंग खेला जाय)	1 दिवस
7.	18 दिसम्बर "गुरू घासीदास जयंती"	1 दिवस

(10.2) उक्त के अतिरिक्त कलेक्टर को यह भी अधिकार हैं कि, वे वित्तीय वर्ष के दौरान किन्हीं भी तीन दिवसों में उनके जिले/क्षेत्र की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को बंद करने के आदेश दे सकते है। इसके अतिरिक्त लोकसभा/विधानसभा/स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, जिसमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है, के चुनाव/उप–चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मदिरा की दुकानों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा–24 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी लोकहित में बंद करने के लिए सक्षम हैं।

11/ **देशी मदिरा की तेजी** :–

वर्ष 2017–18 के लिए देशी मदिरा की तेजी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्रमांक	मदिरा का प्रकार	निर्धारित तेजी
1.	मसाला मदिरा	25.0 यू.पी.
2.	प्लेन मदिरा	50.0 यू.पी.
3.	रासी मदिरा	60.0 यू.पी.

12/ **देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय** :–

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के **व्यवस्थापन नियम, 2017 के नियम** 10 सहपठित **सी.एस.2(घघ) लायसेंस शर्त क्रमांक** 8 एवं **एफ.एल.1(घघ) लायसेंस शर्त क्रमांक** 16 में वर्ष **2017–18** में देशी मदिरा व विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय **प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक** निर्धारित किया गया है।

13/ **<u>मदिरा के फुटकर विक्रय दरों का निर्धारण</u>** :– छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के **व्यवस्थापन नियम, 2017 के नियम 09** के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 के लिए शासन द्वारा देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के लिए निर्धारित फुटकर विक्रय दर नियत की जावेगी। देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के शासन द्वारा निर्धारित फुटकर बिक्री दर देशी मदिरा/विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रकार के नामपत्रों (लेबलों) पर अंकित किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी, निर्धारित किए गए फुटकर मूल्य से कम अथवा अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।

14/ **<u>सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय का अनुपात</u>** :–

वर्ष 2017–18 के लिये प्रदेश में स्थित देशी मदिरा की फुटकर दुकान को भण्डारण–भण्डागार से बोतल, अद्धा, पाव की शीशियों में देशी मदिरा का प्रूफ लीटर में प्रदाय का अनुपात :–

750ml -	5%
375ml -	10%
180ml-	85%

रहेगा।

15/ **<u>देशी/विदेशी मदिरा दुकानों पर आवश्यकता अनुरूप सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।</u>**

16/ **<u>विदेशी मदिरा की कीमत का भुगतान (सी.एस.बी.सी. का प्रदाय दर)</u>** :–

आगामी **वर्ष 2017–18** हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन को विदेशी मदिरा (स्प्रिट एवं माल्ट) की कीमत (प्रदाय दर) का भुगतान **ऑन–लाईन (on-line)** माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

17/ **<u>एफ.एल.2/एफ.एल.3 (बार)/एफ.एल.3क(बार) एवं एफ.एल.4/4क (क्लब) अनुज्ञप्ति</u>** :–

वर्ष 2017–18 के लिए विदेशी मदिरा एफ.एल.2 रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति, एफ.एल.3 होटल बार, एफ.एल.3क शॉपिंग माल रेस्टोरेंट बार, एफ.एल.4 एवं एफ.एल.4क के अनुज्ञप्ति के संबंध में पृथक से आदेश प्रसारित किये जा रहे है।

18/ **<u>देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के सीलबंद बोतलों में आयात एवं देशी/विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए आर.एस./ई.एन.ए. के आयात पर शुल्क का निर्धारण</u>** :–

(18.1) **<u>सीलबंद बोतलों के लिए आयात शुल्क</u>** :–

<u>देशी मदिरा के लिए</u> :–

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2016–17 से देशी मदिरा की सीलबंद बोतलों के अन्तर्राज्यीय आयात पर आयात शुल्क रुपये 6.00 प्रति प्रूफ लीटर निर्धारित है। **वर्ष 2017–18 के लिए** सीलबंद बोतलों में अन्तर्राज्यीय आयात पर आयात **शुल्क रुपये 6/– प्रति प्रूफ लीटर यथावत् रहेगी।**

वर्ष 2017–18 में देशी मदिरा की बाटलिंग, आसवनी परिसर स्थित देशी मदिरा विनिर्माण भण्डागार में की जाकर प्रदाय क्षेत्र के जिलों में स्थित भण्डारण भण्डागारों को सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा मास्टर कॉर्टन पैकिंग में प्रदाय करने की व्यवस्था यथावत् रहेगी।

(18.2) विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए ई.एन.ए. के आयात पर आयात शुल्क :–

आगामी वर्ष 2017–18 में विदेशी मदिरा के विनिर्माण के लिए ई.एन.ए. के आयात पर आयात शुल्क वर्ष 2016–17 की भाँति रुपये 3/– प्रति बल्कलीटर यथावत् रहेगा।

19/ मादक पदार्थों पर अन्य कोई कर :–

वर्ष 2017–18 की लायसेंस अवधि में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर लगाया जावेगा, तो अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत् लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

20/ मद्य निषेद्य नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप मदिरा दुकान बंद करना :–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में छत्तीसगढ़ राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप या किसी अन्य कारण से किसी दुकान को बंद करने का निर्णय लिया जाता है, तो वैसा करने का अधिकार आबकारी आयुक्त का होगा। इस कारण से अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा देय नहीं होगी।

इसी प्रकार यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान के व्यवस्थापन की अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक उपद्रवों, आंदोलनों, कानून व्यवस्था आदि संबंधी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई क्षति होती है, तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति शासन द्वारा देय नहीं होगा।

21/ सत्यनिष्ठा संधि (Integrity pact) का पालन किया जाना :–

सत्यनिष्ठा संधि (Integrity pact) की प्रक्रिया में क्रेता एवं विक्रेता द्वारा सत्यनिष्ठा की नीति का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सत्यनिष्ठा संधि का प्रारूप परिशिष्ठ (Annexure) में संलग्न है।

22/ वर्ष 2017–18 के लिए प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की सभी अनुज्ञप्तियाँ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2017 निर्धारित शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/जिले के उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन रहेंगी।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(ए. के. अग्रवाल)
आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / आब. / ठेका / 2017 / **1015,** रायपुर, दिनांक **27.02.2017**

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव मान. मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, छ.ग.
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर,
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, छ.ग.
7. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर,
8. समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़,
9. समस्त अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय, रायपुर,
10. वरिष्ठ तकनीकी संचालक, एन. आई. सी. मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
11. संयुक्त संचालक (वित्त) मुख्यालय, रायपुर,
12. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
13. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़,
14. उपायुक्त आबकारी जिला–रायपुर / सहायक आयुक्त आबकारी, जिला–दुर्ग / राजनांदगांव / बिलासपुर / कोरबा / जांजगीर चांपा / रायगढ़, ***एवं***
15. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–01

आवेदन पत्र

1.

आवेदन का प्रकार	व्यक्तिगत / फर्म / एच.यू.एफ / कंपनी

2.

आवेदक का आयकर विभाग का पेन (सी.एस. एम.सी.एल.)	

3. सी.एस.एम.सी.एल. का टिन (टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर)

4. वर्ष 2017–18 के लिए जिला ....की देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र :–

क्रं.	दुकान का नाम

5. (अ) फर्म का नाम :– ....

6. पता (अ) स्थाई निवास का पता :– ....

(i)पिन कोड :– ....

(ii)टेलीफोन नं. :– ....

(iii)मोबाईल नं. :– ....

(iv)ई.मेल आई.डी. :– ....

(ब) पत्र व्यवहार हेतु पता :– ....

(i)पिन कोड :– ....

(ii)टेलीफोन नं. :– ....

(iii)मोबाईल नं. :– ....

(iv)ई.मेल आई.डी. :– ....

आवेदक के हस्ताक्षर